कृषि संबंधित योजनाएँ

❖ मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना :

- राज्य के कृषकों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु अपने खेतों में गुणवत्तायुक्त उन्नत किस्म के बीज उत्पादन करने के उद्देश्य से संचालित।
- प्रारम्भ – राज्य के तीन कृषि जलवायुविक खण्डों – (कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर)।
- वर्ष 2018–19 से योजना का विस्तार करके राज्य के समस्त 10 कृषि जलवायुविक खण्डों में संचालित योजना की जा रही है।
- इस योजना में गेंहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द – 10 वर्ष से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन को शामिल किया गया।
- इस योजना में फसलों का चयन, कृषक समूह का गठन, समूह में बीज उत्पादक सदस्यों का चयन, नि:शुल्क बीज वितरण एवं बीज उत्पादन हेतु प्रशिक्षण एवं रोगिंग को शामिल किया गया है।

❖ महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम :

- इस योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर महिला कृषकों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है जिससे उनको उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी व ज्ञान हस्तांतरण किया जा सकें। राज्य सरकार द्वारा 30 महिला कृषकों के प्रति प्रशिक्षण 3000 रु. सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है।

❖ कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि :

- लड़कियों को औपचारिक रूप से कृषि अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रोत्साहन राशि निम्न प्रकार से प्रदान की जाती है–

☞ उच्च माध्यमिक कृषि (12वीं) – 5000 रु./छात्रा/वर्ष

☞ स्नातक कृषि – 12000 रु./छात्रा/वर्ष

☞ स्नातकोत्तर कृषि/पी.एच.डी.– 15000 रु./छात्रा/वर्ष

- यह प्रोत्साहन राशि बीच में सत्रा छोड़ चुकी, गत वर्ष अनुत्तीण छात्रा को प्रदान नहीं की जाएगी।

❖ फसल/कृषि प्रदर्शन हेतु अनुदान :

- कृषि विभाग द्वारा "देखकर विश्वास करो" के आधार पर कृषि तकनीक को प्रसारित करने के लिए कृषकों के खेतों पर फसल प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से वंचित जिलों में राज्य की विशिष्ट फसलों – ग्वार, गेहूँ एवं जौ पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। फसल उत्पादन की उन्नत क्रियाओं व नवीनतम तकनीकी को आम किसानों तक पहुँचाने हेतु संचालित योजना।

❖ बीज मिनिकिट योजना :

- कृषि विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नवीन किस्मों को बढ़ावा देने हेतु 0.1 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए टोकन राशि पर बीज मिनिकिट कृषकों को उपलब्ध करवाना जाता है। इस मिनीकिट की आपूर्ति राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा की जाती है।

❖ सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिट योजना :

- किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर 90 % अनुदान पर सूक्ष्म पोषक तत्व मिनिकिट उपलब्ध करवाये जाते हैं।

❖ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग :

- राजस्थान सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2019–20 में "खेती में जान तो सशक्त किसान" को साकार करते हुए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अर्थात् परम्परागत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के तीन जिलों–टोंक, सिरोही, बांसवाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया।
- वर्ष 2020-21 में इस योजना का विस्तार करके 12 राज्यों को शामिल करते हुए वर्तमान में यह कुल 15 जिलों (टोंक, अजमेर, अलवर, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, सीकर, नागौर, बाड़मेर, चुरू, जैसलमेर, हनुमानगढ़ व सिरोही) में संचालित की जा रही है। इस योजना में ग्राम स्तर पर विभिन्न घटकों के प्रशिक्षण का आयोजन के बाद चयनित किसानों को दो दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना तथा चयनित किसानों को भी आदान इकाई पर अनुदान के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। कृषक द्वारा स्वयं के खेत में कृषि आदानों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनें एवं कृषि उत्पादन रसायन मुक्त हो, यही जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य है।

❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना :

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन हेतु राज्य में 2 अक्टूबर 2013 से राष्ट्रीय सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पात्र व्यक्तियों को खाद्य से सम्बंधित लाभ पहुंचाकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना है।

- इस योजना में अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र परिवार (विभागीय अधिसूचना दिनांक 19 जनवरी, 2016 में शामिल), गर्भवती और धात्री महिलाएं (बच्चे के जन्म के 6 माह बाद तक) आदि को शामिल किया गया है। अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार तथा अन्य पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट 2 रु. प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिमाह वितरण किया जाता है तथा छात्रों एवं गर्भवती महिलाओं को आँगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा पोषाहार दिया जाता है।

❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (गेहूँ एवं दलहन) :

- यह योजना वर्ष 2007-08 में प्रारम्भ की गई जिसमें केन्द्र व राज्य का अनुपात 60 : 40 है। इस योजना के अन्तर्गत प्रमाणित बीजों का वितरण, उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रदर्शन, जैविक खाद, सूक्ष्म तत्वों–जिप्सम आदि की उपलब्ध्ता समन्वित कीट प्रबंधन, कृषि यंत्रों – फव्वारा, पम्प सैट, सिंचाई जल हेतु पाइप लाईन, फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण द्वारा किसानों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

♦ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत शामिल जिलें :

☞ गेहूँ – **14 जिले**

☞ मोटा अनाज (मक्का) – **5 जिले**

☞ मौटा अनाज (जौ) – **7 जिले**

☞ यह योजना भारत में दलहन व तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा हेतु शुरू की गई।

❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन :

- **इस योजना की मुख्य गतिविधियाँ** – प्रमाणित बीजों का उत्पादन/वितरण, फसल प्रदर्शन, समन्वित जीवनाशी प्रबंधन, पौध संरक्षण रसायन/उपकरण/वितरण, जैव उर्वरक का उपयोग, तारबंदी, बीज मिनीकिट वितरण, तकनीक में सुधार का प्रदर्शन, सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग, फसल पर किसानों को प्रशिक्षण देना आदि शामिल है। इसमें केन्द्र व राज्य सरकार का वित्तपोषण – 60 : 40 है।

❖ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन न्यूट्रिसीरियल मिशन :

- यह केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में 2018-19 में प्रारम्भ की गई जिसमें ज्वार के लिए 10 जिलें (अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, नागौर, पाली व टोंक) तथा बाजरा हेतु 21 जिलों (अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालौर, झुन्झुनूं, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही व टोंक) को शामिल किया गया। इस योजना में प्रमाणित बीज का वितरण, उत्पादन तकनीक में सुधार का प्रदर्शन, जैव उर्वरकों को बढ़ावा देना शामिल है।

❖ राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना :

- यह योजना विश्व बैंक से वित्त पोषित है जिसकी अवधि जुलाई, 2012 से अप्रैल, 2019 रखी गयी है। इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य कृषि औद्योगिकी एवं कृषि जल प्रबंधन को समन्वित कर कृषि उत्पादकता एवं कृषकों की आय में वृद्धि करना है।
- राज्य में चयनित स्थानों में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (RACP) की शुरूआत की गई है।

♦ प्रमुख लक्ष्य :

- कृषि सहायता सेवाएँ देने में सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता में सुधार।
- गहन जल का प्रयोग करने वाली फसलों में कमी करना।
- राज्य के कृषि प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि करना।
- खेतों में जल दक्षता में वृद्धि करना।

योजना राजस्थान के 17 जिलों के चयनित कृषि पर्यावरण क्षेत्रों में लागू की जा रही है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, कृषि उत्पादकता, पशुधन और कृषि मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दिया जाएगा।

❖ राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन :

- यह योजना भारत सरकार ने वर्ष 2015–16 में शुरू की। जिसके लिए वित्त पोषण का केन्द्र व राज्य में अनुपात 60 : 40 है।

♦ उद्देश्य :

1. कृषि विस्तार का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण करना।
2. किसानों को उचित तकनीक एवं कृषि विज्ञान की अच्छी पद्धतियों का हस्तांतरण करना।

♦ इसके अन्तर्गत 4 उपमिशन शामिल किए गए हैं :

1. कृषि विस्तार पर उपमिशन
2. बीज एवं रोपण सामग्री पर उपमिशन
3. कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन
4. कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स प्लान

❖ राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन :

- इस मिशन में राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबन्ध परियोजना, वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि भारत रकार द्वारा पूर्व में संचालित योजनाओं को पुनगर्ठित करके इस कार्यक्रम की शुरूआत की गई जिसके वित्तपोषण में केन्द्र व राज्य का अनुपात 60 : 40 है।
- यह योजना वर्ष 2014–15 से क्रियान्वित है। राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के अन्तर्गत 4 सबमिशन सम्मिलित किये गये है :–

1. **वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD - Rainfed Area Devlopment) :** राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में विशिष्ट क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की समन्वित कृषि पद्धति यथा – पशुपालन आधारित, उद्यानिकी आधारित और एक सहायक गतिविधियों हेतु किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना भी की जाती है। यह योजना सामूहिक पद्धति पर आधारित है।
2. **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड :** इसके माध्यम से मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना तथा विभिन्न फसलों के लिए विवकेपूर्ण पोषक तत्व प्रबंधन तकनीक का विकास करना शामिल है।

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना –** इस योजना का शुभारम्भ 19 फरवरी, 2015 को सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर) से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करके मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार पोषक तत्वों का प्रयोग कर फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें किसान को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से संतुलित उर्वरक की सिफारिश की जाती है।

3. **परम्परागत कृषि विकास योजना :** इस योजना में जैविक खेती द्वारा पर्यावरण आधारित न्यूनतम लागत तकनीकों के प्रयोग से रसायन व कीटनाशकों के प्रयोग को कम करके कृषि उत्पादन पर बल दिया जाता है। इसमें क्लस्टर (झूण्ड/समूह) व सहभागिता गारण्टी प्रणाली (Participatory Gurantee Scheme) प्रमाणन से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है।
4. **कृषि वानिकी पर उपमिशन (SMAF - Agricultural Forestry) :–** राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित व विस्तार करने हेतु 2017–18 में इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इसमें गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण सामग्री की उपलब्धता, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों हेतु कृषि वानिकी डेटाबेस को समर्थ बनाने हेतु भूमि की स्थिति व कृषि वानिकी के क्षेत्र में सुधार करना आदि शामिल है।

❖ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :

- यह योजना कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में निवेश में कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार ने - 2007-08 में कृषि जलवायु, परिस्थितियों, प्राकृतिक संसाधन मुद्दों व प्रौधोगिकी के अनुरूप कृषि क्षेत्र के लिए योजनाओं को व्यापक रूप से तैयार करने हेतु शुरू की गई। इस योजना में केन्द्रीयांश व राज्यांश 60 : 40 है।
- इसके तहत जिला स्तर पर कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी, कृषि विश्वविद्यालयों व संस्थानों के क्षेत्र में एकीकृत जिला कृषि योजना तैयार करने हेतु परियोजना आधारित सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में पूर्व में संचालित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम एवं ऑन फॉर्म जल प्रबंधन को समावेश किया गया है।

❖ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :

- यह योजना 1 जुलाई 2015 से प्रारम्भ की गई। इस योजना को 15 दिसम्बर 2021 से 5 वर्ष विस्तारित कर 2026 तक संचालित करने का प्रावधान किया गया। इस योजना का उद्देश्य ''हर खेत को पानी'' देने के लिए ''प्रति बूंद अधिक फसल'' प्राप्त करना है। इस योजना के नोडल विभाग उद्यानिकी विभाग है जिसके द्वारा इसके घटकों के अनुसार फार्म पोण्ड, जल हौज एवं डिग्गियों आदि के निर्माण का कार्य संचालित है। **इसके उपघटक** – कमान क्षेत्र विकास, जल निकायों की मरम्मत व नवीनीकरण, भूजल विकास आदि है।

❖ राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन :

इस मिशन के तहत किसानों की फसल को आवारा पशुओं से सुरक्षा प्रदान करने हेतु आगामी 2 वर्षों में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी पर 100 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा। तारबंदी हेतु पेरीफरी (परिधि) कृषकों को लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम 48000 रूपये, जो भी कम हो प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान दिया जाता है। इस लाभ की पात्रता हेतु कम से कम 1.5 हैक्टेयर भूमि एक ही स्थान पर होना आवश्यक है।

❖ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

- **किसान कल्याण के लिए न्यूनतम प्रीमियम, अधिकतम बीमा के दृष्टिकोण** से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी, 2016 को देश के किसानों को सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की। इसका उद्देश्य हर साल प्राकृतिक आपदा के चलते किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उन्हें मुश्किल के वक्त में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत् किसानों को खरीफ और रबी फसल के प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होने पर सुरक्षा दी जाती है।

♦ फसलों की बीमा आच्छादन :

1. खाद्यान्न फसलें (मोटे अनाज और दलहन) 2. तिलहन

3. वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें

- **जोखिमों की आच्छादन और अपवर्जन** – निम्नलिखित अवस्थाओं में, इस योजना के अन्तर्गत, फसल व जोखिम जिनके कारण फसल का नुकसान होता है, को आच्छादित किया जाएगा।

(क) **बाधित बुआई/रोपण जोखिम** – बीमाकृत क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई/रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा।

(ख) **खड़ी फसल (बुआई से लेकर कटाई तक)** – गैर बाधित जोखिमों यथा सूखें, लम्बी शुष्क कृमि व रोग, बाढ़, जलभराव, कृमि व रोग, भू–स्खलनों, प्राकृतिक अग्नि दुर्घटनाओं और आकाशीय बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, समुद्री तूफान, भंवर और बंवडर के कारण फसल को होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए वृहत जोखिम बीमा दिया जाता है।

(ग) **फसल कटाई के उपरान्त होने वाले नुकसान**–यह बीमा आच्छादन ऐसी फसलों को काटे जाने से अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) के लिए चक्रवात और चक्रवातीय वर्षा एवं गैर मौसमी वर्षा के मामले में दिया जाता है जिन्हें फसल कटाई के बाद खेत में सुखने के लिए छोड़ा जाता है।

(घ) **स्थानीय आपदाएँ**–अधिसूचित क्षेत्र में पृथक कृषि–भूमि को प्रभावित करने वाली ओलावृष्टि, भू–स्खलन और जल भराव के अभिचिन्हित जोखिमों से होने वाले नुकसान/क्षति।

	मौसम	फसल	किसान द्वारा देय अधिकतम बीमा प्रभार (बीमाकृत राशि का प्रतिशत)
1.	खरीफ	सभी खाद्यान्न, तिलहन फसलें (सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें)	बीमित राशि का 2.0% अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो
2.	रबी	सभी खाद्यान्न, तिलहन फसलें (सभी मोटे अनाज, ज्वार, दलहन और तिलहन फसलें)	बीमित राशि का 1.5% अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो
3.	खरीफ और रबी	वार्षिक वाणिज्यिक/वार्षिक बागवानी फसलें	बीमित राशि का 5% अथवा बीमांकिक दर, जो भी कम हो

- फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर फसल का नुकसान हुआ तो भी बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे।
- भारत सरकार द्वारा खरीफ का अधिकतम प्रीमियम का अनुदान ही केन्द्रीय अंश द्वारा वहन किया जाएगा।

❖ **कृषक कल्याण कोष का गठन :**

- 16 दिसम्बर, 2019 को किसानों को व्यापार व खेती करने में आसानी के लिए 1000 करोड़ की राशि से कृषक कल्याण कोष का गठन किया। इस राशि का उपयोग कृषि उपज के उचित मूल्यों के लिए और सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ किसान कल्याण से जुड़ी किसी भी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इस कोष हेतु बैंकों से कुल 2000 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया है।

❖ **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना :**

- यह योजना भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा – 29 जून, 2020 को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र उन्नयन हेतु शुरू की गई जोकि वर्तमान में 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को लागू करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड बनाया गया है। जिसके लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के वित्तपोषण का अनुपात 60 : 40 है।

♦ **उद्देश्य** – अगले पांच वर्षों में 6638 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को क्रमोन्नत करना है।

❖ **राष्ट्रीय बागवानी मिशन :**

- राज्य के चयनित 24 जिलों में विभिन्न उद्यानिकी फसलों यथा – फल, फूल व मसालों के क्षेत्रफल, उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि हेतु संचालित की जा रही योजना।

♦ **योजना में शामिल 24 जिलें :–** जयपुर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, जोधपुर, पाली, जालौर, बाड़मेर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, झुन्झुनूं, सिरोही, जैसलमेर व श्रीगंगानगर है।इस योजना में ग्रीन हाउस निर्माण, प्लास्टिक टनल निर्माण, प्लास्टिक मल्चिंग, वर्मी कम्पोस्ट इकाई, कम लागत के प्याज भण्डारणों का निर्माण, पैक हाउस, जल संग्रहण स्रोतों का विकास आदि कार्य किए जा रहे हैं।

❖ **मसाला बोर्ड का गठन :**

- राज्य में मसालों के उत्पादन, विपणन, मूल्यवर्द्धन एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन मसाला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

❖ **राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन :**

- राज्य में औषधिये पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु 1500 हैक्टेयर क्षेत्रा में मसालों के बगीचे की स्थापना हेतु कार्य किया जा रहा है।

❖ राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन :

- इस मिशन के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को प्रमाणित किस्मों के बीज के मिनिकीट निःशुल्क उपलब्ध कराये जा रहे हैं साथ ही पशुपालक कृषकों को हरा चारा जैसे–ज्वार, बाजरा, रीजका, बरसीम व जई के बीज के मिनिकिट भी निःशुल्क वितरीत किये जा रहे हैं।

❖ राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन :

- इसके तहत भूमि उर्वरकता को बढ़ाने हेतु किसानों को जिप्सम की आपूर्ति शुरू की गई है तथा हरी खाद्य उत्पादन हेतु किसानों को ढैंचा के बीज के मिनिकिट भी निःशुल्क दिये जा रहे हैं।

❖ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) :

- यह योजना 1 जुलाई 2015 से प्रारम्भ हुई जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई की दक्षता को बढ़ाना था। इसकी टैग लाइन है – "हर खेत को पानी, हर बूंद अधिक सिंचाई"।
- इस योजना में सामान्य राज्यों के लिए केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का योगदान 60 : 40 है जबकि पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का योगदान 90 : 10 है।
- इस य ोजना के तहत फसल उत्पादकता बढ़ाने व जल संरक्षण हेतु लघु सिंचाई परियोजना पद्धतियों – ड्रिप व फव्वारा सिंचाई पद्धति द्वारा प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था पर बल दिया जाता है। इस हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान दिया जा रहा है।
- इस योजना द्वारा आधुनिक सिंचाई संयंत्रों के माध्यम से सिंचाई जल के समुचित एवं दक्षतम उपयोग सुनिश्चित करके राज्य की वर्तमान सिंचाई दक्षता में प्रभावी वृद्धि संभव है।

❖ राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन :

- इस मिशन के तहत आगामी 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई संबंधित अनुसंधान व प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु सभी संभागीय मुख्यालयों पर Center of Excellence for Micro Irrigation स्थापित किए जाएगें। साथ ही डिग्गी निर्माण, सामुदायिक जल स्त्रोतों का निर्माण करवाया जाएगा।

❖ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) :

- जल ग्रहण विकास कार्यों के माध्यम से भूमि के उपचार के लिए वर्ष 2009–10 में इंटिग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। इसके तहत स्वीकृत परियोजनाएं 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड कम्पोनेंट) के तहत संचालित की जा रही है।

- इस योजना में केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का अंश 60 : 40 निर्धारित किया गया है।
- इसके अन्तर्गत राज्य में 216 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है जिसके 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- राजस्थान का वाटरशेड एटलस–राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर द्वारा तैयार किया गया है।

❖ **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM – किसान) योजना :**

- यह 100% केन्द्र सरकार की वित्त पोषित योजना है जिसके माध्यम से किसानों को कुल 6000 रुपये की राशि, 2000 रुपये की 3 समान किश्तों के रुप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी।
- यह योजना 1 अप्रैल 2019 को आरम्भ की गई। इस योजना के प्रारम्भ में तहत जिनके पास 2 हैक्टेयर योग्य जमीन है, उन्हें इसका पात्र माना गया था लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाते हुए सभी किसानों पर लागू कर दिया गया।

❖ **प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना :**

- यह योजना 12 सितम्बर, 2019 से प्रारम्भ हुई जिसके तहत छोटे व सीमान्त किसानों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रु प्रतिमाह पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। यह योजना स्वैच्छिक और अशंदायी पेंशन योजना है जिसमें प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष हैं।

❖ **सौर ऊर्जा आधारित पम्प परियोजना (PM KUSUM योजना) कम्पोनेंट बी :**

- पी.एम. कुसुम योजना वर्ष 2019–20 में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान के रूप में प्रारम्भ की गई।
- इसके कम्पोनेंट बी स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र योजना संचालित की जा रही है जिसके तहत 3 हॉर्सपावर से 10 हॉर्सपावर क्षमता के सौर ऊर्जा पम्प संयंत्रों की स्थापना के प्रावधान के साथ अधिकतम 7.5 हॉर्सपावर क्षमता तक पम्प हेतु अनुदान की व्यवस्था की गई हैं। इस योजना में ऐसे कृषक जहां सिंचाई हेतु कृषि विद्युत कनेक्शन नही है तथा डीजल आधारित पम्पसेट पर निर्भर है, वे सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र लगाने के पात्र है। राज्य में वर्ष 2010–11 से दिसम्बर, 2021 तक 64,010 सौर ऊर्जा पम्प संयंत्र स्थापित करवाये जा चुके है। इसके तहत कुल 60 प्रतिशत अनुदान देय है, जिसमें केन्द्र सरकार व राज्य सरकार का अंश 30-30% है।

- वर्ष 2021–22 में इस योजना के अन्तर्गत राज्य मद से कुल प्रावधान 200 करोड़ रु. के विरूद्ध 105. 85 करोड़ रु. का व्यय कर दिसम्बर, 2021 तक 13,880 सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हो चुकी है।

❖ **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) :**

- इस योजना में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने हेतु 29 मई 2017 को प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को दुगुना करना है। इसके तहत खजूर की खेती, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में उद्यानिकी विकास कार्यक्रम, शहरी क्षेत्रों में वेजिटेबल कलस्टर, झालावाड़, ध ौलपुर, टोंक, बूंदी, चित्तौडगढ़ व सवाई माधोपुर एवं उदयपुर में उत्कृष्ठता केन्द्र की स्थापना, बस्सी जयपुर में (अनार) व नान्ता, कोटा में खट्टे फलों के उन्नत उत्पादन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, संरक्षित खेती का विकास एवं नर्सरियों की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।

❖ **फर्टिगेशन, फोलियर, फर्टिलाइजेशन एवं ऑटोमेशन योजना :**

- **फोलियर पर्ण निषेचन**–पौधे की पत्तियों पर उर्वरक लगाकर पोषक तत्वों की उपलब्धता करवाने की विधि)
- **फर्टिगेशन** – उर्वरक अनुप्रयोग की विधि जिसमें ड्रिप सिस्टम द्वारा उर्वरकों को सिंचाई के पानी के के माध्यम से उपलब्ध करवाना।

♦ **उद्देश्य**– पौधों की पोषक तत्वों की समयबद्ध उपलब्धता से समुचित विकास के साथ कृषि में उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करना तथा सिंचाई जल प्रयोग की उच्चतम दक्षता प्राप्त करना, पोषक तत्वों की दक्षता बढ़ाने हेतु बूंद–बूंद सिंचाई के साथ आवश्यक घुलनशील पोषक तत्वों की फसल को उपलब्धता सुनिश्चित करना।

❖ **किसान क्रेडिट कार्ड योजना :**

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना एक क्रेडिट प्रणाली है जिसके द्वारा किसानों को सस्ती वित्तीय सहायता देकर कृषि क्षेत्र हेतु ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा आर.बी.आई. की सिफारिशों पर तैयार की गई तथा भारतीय बैंकों द्वारा अगस्त 1998–99 में यशवंत सिन्हा द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह कार्ड सार्वजनिक बैंकों, सहकारी बैंकों, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जाता है।
- कृषि औजार/उपकरण आदि पर निवेश होने वाली क्रेडिट राशि और एक वर्ष की अवधि के भीतर लौटाई गई राशि की जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तय करते वक्त देखी जाती है। जो शॉर्टटर्म 5 वर्ष के लिए दिया जाएगा एवं अनुमानित निवेश ऋण इन्हें किसान क्रेडिट कार्ड की अधिकतम अनुमोदित सीमा के तौर पर इंगित किया जाएगा।

प्रज्ञान

- किसान क्रेडिट कार्ड धारक को एटीएम कम डेबिट कार्ड दिया जाएगा साथ ही उसका इस्तेमाल भी सिखाया जाएगा, जिससे वे पैसे निकाल सके।
- जब किसान क्रेडिट कार्ड सीमा 3 लाख होती है तब प्रोसेसिंग शुल्क माफ कर दिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड लोन की राशि	किसान क्रेडिट कार्ड ब्याज दर 2018
3 लाख रूपये तक	Base Rate + 2.00% = 9.65 - 11.30% (सरकार छूट के साथ 4 प्रतिशत ब्याज दर लगेगा)
3 लाख से 25 लाख रूपये तक	Base Rate +3.00% = 10.90 - 12.30%
25 लाख रूपये तक	Base Rate + 4.00% = 11.65 - 13.30%

❖ थार (ट्रांसफॉर्मिंग एण्ड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एवं अलाइड सेक्टर इन राजस्थान) :

- यह योजना 13 मार्च, 2020 को खेती में लागत को कम करने, कृषक आय में वृद्धि करने, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि व संबंधित उत्पाद को ग्लोबल बाजार तक पहुँच बनाने व स्थापित करने हेतु शुरू की गई।

❖ सामुदायिक वन अधिकार विकास योजना :

- राज्य में यह योजना विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, 2021 से लागू हुई। इस योजना में जिन क्षेत्रों में सामुदायिक प्रवृत्ति के वनाधिकार पत्र जारी किए गए है, में जल संग्रहण, वृक्षारोपण, फलदार पौधे लगाने, मछली पालन, चारागाह विकास, सामुदायिक भवन निर्माण, प्रोसेसिंग सेंटर इत्यादि काम कराने के अतिरिक्त इन क्षेत्रों पर आधारित जनजाति सामुदायिक केन्द्रों को विभिनन प्रकार के प्रशिक्षण एवं उपकरण इत्यादि प्रदान करने हेतु राशि स्वीकृत की जाती है। इन कार्यो हेतु आवश्यक स्वीकृतियाँ जिला कलक्टर द्वारा जारी की जाएगी। इसके तहत 10 लाख रूपये से अधिक की स्वीकृतियाँ जारी नहीं की जाएगी।
- 10 लाख रूपये से अधिक वन की आवश्यकता होने पर जिला कलक्टर द्वारा प्रस्ताव आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को स्वीकृति हेतु भेजे जाएंगे। इसमें व्यक्तिगत प्रवृत्ति के कार्यो को नहीं कराया जाएगा।